

जेएमडी एलॉयज लि.

बनाम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

6 मार्च, 2003

[एस. राजेंद्र बाबू, डी.एम. धर्माधिकारी तथा जी.पी. माथुर, न्यायमूर्तिगण]

विद्युत विधियाँ :

विद्युत अधिनियम, 1910 :

धारा 26(6)—सी.टी./पी.टी. यूनिट की सील के साथ छेड़छाड़ के संबंध में विवाद—कार्यक्षेत्र और विस्तार—अभिनिर्धारित: ऐसा विवाद धारा 26(6) के विस्तार से बाहर है और विद्युत निरीक्षक के पास ऐसे मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है—विद्युत निरीक्षक केवल यह विनिश्चित कर सकता है कि मीटर सही है और पाठ्यांक को सटीक रूप से अभिलिखित कर रहा है।

धाराएँ 39 और 44—ऊर्जा की चोरी का मामला—विचारण—उद्देश्य और प्रयोजन—अभिनिर्धारित: उस व्यक्ति को दंडित और दंडादेशित करना है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने अपराध किया है—दांडिक मामले में अभियुक्त के विचारण का बेईमानी से निकाली गई या उपभोग की गई विद्युत के मूल्य की शुल्क दर के अनुसार किए गए निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं है।

बिहार राज्य विद्युत शुल्क दर:

खंड 16.9—अनधिकृत भार का पता लगाना—ऊर्जा की बेईमानी से निकासी की अवधि की गणना 180 दिनों के रूप में करना जब अवधि को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है—का औचित्य—अभिनिर्धारित: निर्धारण उचित।

खंड 16.9 और 16.10.3—बेईमानी से निकासी—ईंधन प्रभार का निर्धारण प्रति इकाई तिगुनी दर पर—का औचित्य—अभिनिर्धारित: खंड 16.10.3 एक अलग खंड है जो ईंधन

अधिभार से संबंधित है और यह कहीं भी अधिकथित नहीं करता है कि यह अतिरिक्त अधिभार शुल्क दर की प्रति इकाई तिगुनी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा, इस प्रकार प्रति इकाई तिगुनी दर पर ईंधन अधिभार का उद्ग्रहण उचित नहीं।

भारत का संविधान, 1950 :

अनुच्छेद 226—कार्यक्षेत्र—मुख्य अभियंता का आदेश—आदेश के विरुद्ध रिट याचिका—
अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय मुख्य अभियंता के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई नहीं कर रहा है—अतः जाँच का कार्यक्षेत्र सीमित है—न्यायिक पुनर्विलोकन।

याचिकाकर्ता-कारखाने के पास इंडक्शन भट्ठी चलाने के लिए विद्युत का उच्च तनाव औद्योगिक संयोजन है। विद्युत बोर्ड ने याचिकाकर्ता के कारखाना परिसर का निरीक्षण किया और सी.टी./पी.टी. बक्से पर लगी सील के साथ छेड़छाड़ पाई। प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके पश्चात, विद्युत बोर्ड ने एक विपत्र जारी किया। याचिकाकर्ता ने विपत्र को चुनौती दी। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर, विद्युत बोर्ड ने एक सूचना जारी की। याचिकाकर्ताओं को अवसर देने के पश्चात, मुख्य अभियंता ने एक आदेश पारित कर यह अभिनिर्धारित किया कि शुल्क दर का खंड 16.9(बी) और (सी) आकर्षित होता है और याचिकाकर्ता शुल्क दर के शर्तों में प्रतिकर विपत्र का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और एक नया विपत्र भी जारी किया। याचिकाकर्ता ने विपत्र को चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। खंडपीठ ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता शुल्क दर के खंड 16.9 के अनुसार विद्युत प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, ईंधन अधिभार के संबंध में इसने अभिनिर्धारित किया कि शुल्क दर के खंड 16.9 के अनुसार इसे तिगुनी दर पर उद्गृहीत नहीं किया जा सकता है। अतः वर्तमान अपीलें।

याचिकाकर्ता-कारखाने ने तर्क दिया कि उन्होंने सी.टी./पी.टी. इकाई की सील के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी क्योंकि निरीक्षण पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी; कि यह

दर्शित करने के लिए कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं था कि याचिकाकर्ता ने मीटर के साथ हस्तक्षेप किया जिसका प्रभाव ऊर्जा के कम उपभोग को दर्शाने का हो सकता है या कृत्रिम साधनों की उपस्थिति थी जो विद्युत ऊर्जा की निकासी को संभव बना देती, इस प्रकार शुल्क दर के खंड 16.9 के उपबंध लागू नहीं किए जा सकते थे और याचिकाकर्ता को जारी किया गया विद्युत विपत्र गलत है; कि मीटर के दोषपूर्ण अभिलिखितकरण का न्यायनिर्णयन विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 26(6) के दृष्टिकोण से किया जाना है और मामले को विद्युत निरीक्षक को निर्देशित किया जाना चाहिए था; कि एक आपराधिक वाद के पंजीकृत होने के पश्चात, मामले का अन्वेषण किया गया था और एक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे दंडाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता विद्युत की चोरी के आरोप से दोषमुक्त है; कि ऊर्जा की बेईमानी से निकासी की अवधि को 180 दिनों (छह महीने) के रूप में गिनने का कोई औचित्य नहीं है; और कि मुख्य अभियंता द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पूर्णतः गलत हैं क्योंकि इस्पात के वास्तविक उत्पादन पर अपना आदेश आधारित करने के बजाय, वे भट्ठियों की क्षमता के अनुसार गए हैं।

उत्तरदाता-विद्युत बोर्ड ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 26(6) उस वाद में लागू नहीं होती है जहाँ सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से पर लगी सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मीटर द्वारा उपभोग का अभिलिखितकरण कृत्रिम साधनों का सहारा लेकर किया गया था; कि अधिभार विद्युत विपत्र का भाग होने के कारण, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि वह प्रति इकाई आधार पर प्रभार्य था और उसके मूल्य का तीन गुना नहीं; और शुल्क दर के खंड 16.9 को देखते हुए, ईंधन अधिभार भी आकलित इकाइयों के तीन गुना पर उद्गृहीत किया जाना है; और यह कि मुख्य अभियंता ने सभी सुसंगत सामग्री और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात एक स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से की सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और

याचिकाकर्ता ने अनुबंधित भार से अधिक का उपयोग किया था और बहुत बड़ी सीमा तक विद्युत ऊर्जा की बेईमानी से निकासी भी की थी जो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही में चुनौती के लिए खुला नहीं है।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बॉक्स पर लगी मुहर में छेड़छाड़ की गई थी तथा मीटर के स्वाभाविक कार्य को बाहरी उपकरणों का सहारा लेकर प्रभावित किया गया था। इस प्रकार का विवाद विद्युत निरीक्षक को भेजा नहीं जा सकता, अतः सी.टी./पी.टी. टर्मिनल इकाई की मुहर में छेड़छाड़ के विवाद को विद्युत निरीक्षक को भेजा जाना चाहिए था - यह निवेदन निरस्त किया जाता है। [697-सी; 700-जी]

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम बंसतीबाई, [1988] 1 एस.सी.सी. 23 - संदर्भित।

1.2. दंडाधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन का केवल स्वीकार किया जाना आपराधिक न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष नहीं माना जा सकता कि विद्युत की चोरी नहीं की गई थी। अभियुक्त को समन भी नहीं किया गया था, न ही कोई आरोप विरचित किया गया था और न ही कोई साक्ष्य अभिलिखित किया गया था। ऐसी स्थिति में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक न्यायालय ने इस आशय का कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि याचिकाकर्ता ने विद्युत की चोरी नहीं की है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम की धारा 39/44 के अंतर्गत विचारण का प्रयोजन पूर्णतः भिन्न है और उद्देश्य उस व्यक्ति को दंडित और दंडादेशित करना है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने अपराध किया है। एक आपराधिक मामले में अभियुक्त के विचारण का बेईमानी से निकाली गई या उपभोग की गई विद्युत के मूल्य के शुल्क दर के अनुसार किए गए निर्धारण के मामले में कोई प्रभाव नहीं हो

सकता है। अतः, आपराधिक मामले में अंतिम प्रतिवेदन के अभिकथित स्वीकार किए जाने के आधार पर उठाया गया तर्क खारिज किया जाता है। [703-ई, एफ, जी]

1.3. विद्युत की चोरी या विद्युत ऊर्जा की बेईमानी से निकासी के मामलों में, प्रतिकर के लिए निर्धारण एक ऐसे सूत्र के आधार पर किया जाना है जिसमें 'डी' उन दिनों की संख्या के लिए है जिनके लिए चोरी हुई थी और जहाँ अवधि को स्थापित करने के लिए कोई संभावित साक्ष्य नहीं है, इस कारक को 180 दिनों के समतुल्य लिया जा सकता है। इसी प्रकार, एक ऐसे मामले में जहाँ संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक है, निर्धारण प्रभार का कार्य एक ऐसे सूत्र के आधार पर किया जाना है जहाँ 'सी' छह महीने या संयोजन/संस्थापन की तारीख से व्यतीत हुए महीनों या उसके भाग की संख्या, जो भी कम हो, के लिए है। अतः, शुल्क दर के अंतर्गत दोनों मामलों में अवधि को 180 दिन या छह महीने लिया जा सकता है। इसी सूत्र के आधार पर इकाइयों के उपभोग के लिए निर्धारण 180 दिनों के लिए किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में बोर्ड द्वारा अधिसूचित और विद्युत की आपूर्ति का लाभ उठाने वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू की गई उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए शर्तों के निबंधन, स्वरूप में साविधिक हैं। इस प्रकार, विद्युत बोर्ड ने शुल्क दर के खंड 16.9 को सही ढंग से लागू किया और किए गए निर्धारण तथा उसके अनुसरण में तैयार किए गए विपत्र में कोई दुर्बलता नहीं है। [702-एफ, जी, एच; 703-ए]

हैदराबाद वनस्पति लि. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य, (1998) 4 एस.सी.सी. 470 - संदर्भित।

1.4. ईंधन अधिभार की गणना का सूत्र लंबा एवं जटिल है तथा टैरिफ के खंड 16.10.3 में दिया गया है। अनेक कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है तथा वे अनेक चरों पर निर्भर करते हैं। खंड 16.9 तथा 16.10.3 टैरिफ में पृथक एवं भिन्न खंड हैं। खंड 16.9 मीटर द्वारा अभिलेखित उपभोग को छोड़कर संविदाकृत भार से अधिक भार लेने अथवा मीटर के

सुचारु कार्य में बाधा डालने से उपभोक्ता द्वारा निकाली गई अथवा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा के मूल्य की गणना का सूत्र उपबंधित करता है जिसे उपभोक्ता पर लागू टैरिफ की प्रति इकाई दर के तीन गुना पर लगाया जाता है तथा बाद वाला उचित टैरिफ दरों पर लगाया जाता है। खंड 16.10.3 ईंधन अधिभार से संबंधित है तथा इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह अतिरिक्त अधिभार भी टैरिफ की प्रति इकाई दर का तीन गुना लगाया जाएगा। खंड 16.9 तथा 16.10.3 को पृथक रूप से पढ़ा जाना चाहिए तथा ईंधन अधिभार को प्रति इकाई तीन गुना दर पर आकलित करने का कोई विशिष्ट उपबंध न होने के कारण यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि ऐसे मामले में ईंधन अधिभार भी प्रति इकाई तीन गुना दर पर लगाया जाना चाहिए। [705-जी,एच; 706-ए, बी, सी]

1.5. मुख्य अभियंता के आदेश के अनुसार विपत्र तैयार किया गया था जिसे याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय मुख्य अभियंता के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई नहीं कर रहा था। ऐसे मामले में जांच का कार्यक्षेत्र सीमित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुख्य अभियंता ने याचिकाकर्ता को सभी सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए सूचना जारी की थी जिसका याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया था। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था और यह एक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ, जिसने अभिवचन प्रस्तुत किए और उसके पश्चात मुख्य अभियंता ने आदेश पारित किया। मुख्य अभियंता ने सुसंगत कारकों को विचार में लिया है और उसके द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से समर्थित हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके द्वारा पारित आदेश किसी भी प्रकार से अतार्किक या विकृत है। उच्च न्यायालय ने, इसलिए, सही दृष्टिकोण अपनाया कि मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश कि प्रतिकर विपत्र को शुल्क दर के खंड 16.9 के अनुसार तैयार किया जाना है, में संविधान के अनुच्छेद

226 के अंतर्गत रिट याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। [705-सी, डी, ई; 704-ए, बी]

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम महाराजा धर्मद्व प्रसाद सिंह, ए.आई.आर. [1989] एस.सी. 997 तथा अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा, जे.टी. [1999] 1 एस.सी. 61 – संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2002 की दीवानी अपील सं. 8394

1999 की एल.पी.ए. सं. 1665 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 18.4.2000 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2002 की सी.ए. सं. 8395।

श्री गोपाल सुब्रह्मण्यम, श्री वी.आर. रेड्डी, श्री संतोष कुमार, श्री चंद्रकांत, श्री अविनाश कुमार, श्री राकेश के. शर्मा, श्री मिहिर कुमार झा तथा श्री नवीन प्रकाश – उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा प्रतिपादित किया गया

जी.पी. माथुर, न्यायमूर्ति ये अपीलें पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 18.4.2000 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध हैं, जिसके द्वारा मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज लि. द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुसार एक नया विपत्र तामील करने और उक्त विपत्र के भुगतान के दो दिनों के भीतर विद्युत संयोजन को बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज लि. (जिसे इसके पश्चात याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) के पास स्टील इंगट के विनिर्माण हेतु इंडक्शन भट्टियों को चलाने के लिए

विद्युत का उच्च तनाव औद्योगिक संयोजन है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (जिसे इसके पश्चात "विद्युत बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधिकारियों ने 26 और 27 अगस्त, 1999 को याचिकाकर्ता के कारखाना परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि सी.टी./पी.टी. बक्से पर लगी सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी। 27.8.1999 को संबंधित पुलिस थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें यह अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता ने 6.96 लाख इकाइयों की चोरी की थी और इसके द्वारा विद्युत बोर्ड को 2.58 करोड़ रुपये की हानि कारित की थी। विद्युत बोर्ड ने तत्पश्चात 31.8.1999 को 8,65,77,131 रुपये का एक विपत्र जारी किया। इस विपत्र को याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 8939 दायर करके चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने रिट याचिका की सुनवाई की, ने अपने दिनांक 27.9.1999 के निर्णय/आदेश के माध्यम से निर्देशित किया कि निर्णय में की गई टिप्पणियों के प्रकाश में एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना दी जाए और याचिकाकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह विद्युत ऊर्जा की चोरी करने और/या अपने अनुबंधित मांग से अधिक भार पर विद्युत ऊर्जा आहरित करने के आरोप के विरुद्ध अपने सभी बचाव उठाए। यह भी निर्देशित किया गया था कि कारण बताओ सूचना महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, मध्य बिहार क्षेत्र, विद्युत बोर्ड, पटना द्वारा, या विद्युत बोर्ड के समान या उच्चतर श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी जाएगी और वह याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अंतिम आदेश पारित करेगा। याचिकाकर्ता का दायित्व मुख्य अभियंता द्वारा पारित अंतिम आदेश के आधार पर नए सिरे से अवधारित किया जाना था।

मुख्य अभियंता (संचरण) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने तत्पश्चात 13.10.1999 को एक सूचना जारी की जिसका उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा 20.10.1999 को दिया गया था। व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने और उत्तर पर विचार करने के पश्चात, मुख्य अभियंता ने 27.10.1999 को यह अभिनिर्धारित करते हुए एक आदेश पारित किया कि शुल्क दर का खंड

16.9 (बी) और (सी) आकर्षित होता है और उपभोक्ता मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज लि. शुल्क दर के उक्त खंडों के निबंधन में प्रतिकर विपत्र का भुगतान करने के लिए दायी है। मुख्य अभियंता के निर्णय के अनुसार, 8,65,77,131 रुपये का 29.10.1999 का एक नया विपत्र जारी किया गया था। इस विपत्र को याचिकाकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर करके पुनः चुनौती दी गई थी जिसे एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 13.12.1999 को खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने एक लेटर्स पेटेंट अपील प्रस्तुत की जिसे खंडपीठ द्वारा दिनांक 18.4.2000 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता शुल्क दर के खंड 16.9 के अनुसार विद्युत प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी है। हालाँकि ईंधन अधिभार के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसे शुल्क दर के खंड 16.9 के अनुसार तिगुनी दर पर उद्धृत नहीं किया जा सकता है, जो विद्युत के उपभोग को प्रति इकाई तिगुनी दर पर आकलित करने की अनुज्ञा देता है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज लि. ने 2002 की दीवानी अपील सं. 8394 प्रस्तुत की है और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने 2002 की दीवानी अपील सं. 8395 प्रस्तुत की है।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है, मुख्य अभियंता (संचरण), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने याचिकाकर्ता को दिनांक 13.10.1999 की एक सूचना जारी की। सूचना अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारों पर जारी की गई थी कि याचिकाकर्ता के व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण 26.8.1999 को 14.15 बजे से 20.30 बजे तक और उसके पश्चात अगले दिन किया गया था; कि सी.टी./पी.टी. इकाई और उसके टर्मिनल बक्से के परीक्षण पर, सील संख्या 045660 जिसे 14.5.1999 को सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से पर लगाया गया था, के साथ छेड़छाड़ की गई पाई गई थी और उस पर प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे; कि छेड़छाड़ की गई सील का एक जब्ती प्रतिवेदन उसी दिन तैयार किया गया था; कि इस तथ्य के कारण कि टर्मिनल बक्से पर से सील हटा दी गई थी, यह उपभोक्ता के लिए आसानी से

सुलभ हो गया था और टर्मिनलों के साथ हेर-फेर करके, अर्थात् तारों को हटाकर या उच्च प्रतिरोध वाले तारों को लगाकर, मीटरिंग इकाई में ऊर्जा के प्रवाह में हेरा-फेरी की गई थी ताकि के.वी.ए. और इकाई उपभोग दोनों का बहुत कम पाठ्यांक दिखाया जा सके; कि प्रचालन में इंडक्शन भट्टियों की कुल क्षमता 12 एम.टी. थी जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता 7200 के.वी.ए. थी परंतु याचिकाकर्ता ने 4850 के.वी.ए. की अनुबंध मांग की थी और, इसलिए, उपभोक्ता विद्युत की चोरी में संलिप्त था और अनुबंधित मांग की तुलना में बहुत अधिक भार पर ऊर्जा का उपभोग कर रहा था; कि याचिकाकर्ता को भट्टियों के आपूर्तिकर्ता, अर्थात् मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि. ने पुलिस महानिदेशक (निगरानी), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को जल आपूर्ति, शीतलन प्रणाली, क्रेन आदि जैसे सहायक भार के अतिरिक्त भट्टियों को चलाने के लिए लगभग 3000 के.वी.ए. के समतुल्य उपभोग की सूचना दी थी; कि याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत बोर्ड को दी गई व्यवहार्यता प्रतिवेदन ने दिखाया कि प्रत्येक एम.टी. भट्टी के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा केवल भट्टी के लिए 500 के.वी.ए. थी, इसके अतिरिक्त सहायक भार के लिए 100 के.वी.ए. थी और इस प्रकार प्रत्येक एम.टी. भट्टी के लिए 600 के.वी.ए. की आवश्यकता थी; कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर ने दिखाया कि कारखाने द्वारा प्रतिदिन औसतन 21.25 घंटे के आधार पर बिजली का उपभोग किया गया था जो प्रत्येक पाली में 40 श्रमिकों वाली 12-12 घंटे की दो पालियों में चलता है और दो भट्टियों के भार और क्षमता ने प्रति माह 3000 एम.टी. इंगट का उत्पादन दिखाया और, इसलिए, बिजली का न्यूनतम उपभोग 16.20 लाख इकाई प्रति माह था जबकि विपत्रों का भुगतान औसतन 9.24 लाख इकाई प्रति माह पर किया गया था; कि बिजली की चोरी को 33/11 के.वी. वायु सेना उप-केंद्र बिहटा में जे.डी. फीडर के मीटर पाठ्यांक से और अधिक पृष्ठ किया गया था और समझौते के खंड 13 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए दावे से भी और उपर्युक्त तथ्यों और सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता सी.टी./पी.टी. टर्मिनल आवरण की सील के साथ छेड़छाड़ करके बड़े पैमाने पर विद्युत की

चोरी कर रहा था। याचिकाकर्ता को तदनुसार कारण बताने का निर्देश दिया गया था कि शुल्क दर अधिसूचना के खंड 16.9 के निबंधन में विपत्र क्यों न जारी किया जाए। याचिकाकर्ता ने विभिन्न अभिवचन उठाते हुए और यह इनकार करते हुए कि उसने विद्युत की कोई चोरी की है, कारण बताओ सूचना का उत्तर दिया। यह अभिवचन दिया गया था कि विद्युत बोर्ड के विभिन्न दलों द्वारा मीटर का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया था परंतु सी.टी./पी.टी. टर्मिनल आवरण की सील के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई थी; कि भट्टियाँ अपनी निर्धारित क्षमता के केवल 80% तक ही चल सकती हैं; कि विद्युत बोर्ड ने स्वयं संयोजित भार की क्षमता का आकलन 5100 के.वी.ए. पर किया था, जो अनुबंधित मांग के बहुत निकट था; कि कारखाना परिसर में स्थापित मीटर ने कभी भी अनुबंधित मांग से अधिक की अधिकतम मांग अभिलिखित नहीं की; कि यह धारणा कि सहायक भार के लिए प्रति टन 100 के.वी.ए. की आवश्यकता है, तथ्यों पर आधारित नहीं थी और यह कि एक उच्च तनाव औद्योगिक उपभोक्ता के मामले में संयोजित भार की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि एक उच्च तनाव उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए गए भार की निरंतर निगरानी करने के लिए एक ट्राइवैक्टर मीटर, जिसमें अधिकतम मांग सूचक होता है, अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि सी.टी./पी.टी. इकाई की सील के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी और सील के साथ छेड़छाड़ के संबंध में आरोप का अन्वेषण याचिकाकर्ता के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक कांड के अन्वेषण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है और उनके प्रतिवेदन पर उपयुक्त समय पर विधि के न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

मुख्य अभियंता ने सामग्री और किए गए अभिवचनों पर विचार करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि विद्युत की चोरी भौतिक रूप से नहीं पाई जा सकती है और इसे साक्ष्यों, मानदंडों और विभिन्न परिस्थितियों से अवधारित किया जाना है जिनके अंतर्गत उपभोक्ता विद्युत का लाभ उठा रहा है। उन्होंने 27.10.1999 को एक विस्तृत आदेश पारित किया और उनके द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

“कारण बताओ सूचना के अनुबंध 1 से यह प्रतीत होता है कि छह एम.टी. क्षमता की दो संख्या इंडक्शन भट्टियाँ, जिनका कुल योग 12 एम.टी. है, प्रचालन में थीं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन के तथ्यों द्वारा समर्थित है कि ट्रांसफार्मर की कुल क्षमता 7230 के.वी.ए. थी। सी.टी.पी.टी. आवरण टर्मिनल सील जो छेड़छाड़ की गई पाई गई थी, उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। बोर्ड के बड़ी संख्या में अधिकारी थे जिनमें कार्यपालक दंडाधिकारी सम्मिलित थे और इसलिए सी.टी.पी.टी. के टर्मिनल आवरण की सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी, इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। भट्टियों की क्षमता 12 एम.टी. होने से यह स्पष्ट रूप से विदित है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग अनधिकृत रूप से किया गया था क्योंकि मीटर में अभिलिखित उपभोग उस मात्रा से बहुत कम था जो वास्तविक भार अर्थात् 7200 के.वी.ए. (600 X 12 टी.) पर होना चाहिए था। इस संबंध में अनुबंध 3 और 4 मेगाथर्म से इंडक्शन भट्ठी के क्रय के वाउचर, इंडक्शन भट्ठी की क्षमता, 6 एम.टी. को 2500 के.डब्ल्यू. अर्थात् 3000 के.वी.ए. के समतुल्य दर्शाते हैं, इसलिए 12 एम.टी. भट्ठी का भार, सहायक भार के रूप में @ के.वी.ए./एम.टी. के अतिरिक्त, वास्तविक भार के रूप में कुल 7200 के.वी.ए. है। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि बिहार के इंडक्शन भट्ठी संघ ने प्रस्तावित और सहमत किया है कि इंडक्शन भट्ठी का भार 600 के.वी.ए. प्रति एम.टी. हो सकता है।

यह भी मेरे ध्यान में लाया गया है कि औसत आधार पर विद्युत का उपभोग 21.25 घंटे प्रतिदिन की औसत अवधि पर किया गया था। कारखाना प्रत्येक पाली में 40 श्रमिकों के साथ दो पालियों में चलता है। जहाँ तक चोरी के दिनों की संख्या का संबंध है, शुल्क दर के खंड 16.9 के

अंतर्गत प्रतिकर राशि के निर्धारण के लिए छह महीने की अधिकतम अवधि का सही ढंग से अर्थान्वयन और निर्धारण किया गया है।

सूत्र अर्थात् एल.ई.एक्स.एफ.एच.ई.डी. के अनुसार उपभोग के विभिन्न कारकों का शुल्क दर में प्रदान किए गए सूत्र में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है।

ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शुल्क दर का खंड 16.9 (बी) और (सी) आकर्षित होता है और उपभोक्ता मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज शुल्क दर के खंड 16.9 के उपबंधों में प्रतिकर विपत्र का भुगतान करने के लिए दायी है।”

मुख्य अभियंता के आदेश के अनुसार, 29.10.1999 को विद्युत की इकाइयों की लागत के प्रति 4,09,32,925 रुपये और ईंधन अधिभार के प्रति 3,90,73,217 रुपये के लिए एक नया विद्युत विपत्र तैयार किया गया था। विद्युत शुल्क और ट्रांसफार्मर के किराये और फ्यूज प्रतिस्थापन, आदि के प्रभारों को जोड़ने के पश्चात् 8,85,77,131 रुपये के लिए एक विपत्र जारी किया गया था।

श्री गोपाल सुब्रमण्यम, याचिकाकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता, ने यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के कारखाना परिसर का निरीक्षण 14.5.1999 को और फिर पुनः 20.7.1999 को किया गया था और उक्त तिथियों पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी और, इसलिए, यह अभिकथन कि याचिकाकर्ता ने सी.टी./पी.टी. इकाई की सील के साथ छेड़छाड़ की थी, पूर्णतः गलत है। ऐसा कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं था जो यह दिखाए कि याचिकाकर्ता द्वारा मीटरिंग इकाई के साथ हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास किया गया था जिसका प्रभाव ऊर्जा का कम उपभोग दिखाने का हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि कृत्रिम साधनों की उपस्थिति से संबंधित किसी साक्ष्य के अभाव में, जो विद्युत ऊर्जा के निष्कर्षण को संभव बना देता, शुल्क दर के खंड 16.9 के उपबंधों को लागू

नहीं किया जा सकता था और याचिकाकर्ता को जारी किया गया विद्युत विपत्र गलत है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के परिसर का अंतिम निरीक्षण 20.7.1999 को किए जाने के कारण, ऊर्जा के बेईमानीपूर्ण निष्कर्षण की अवधि की गणना 180 दिन (छह महीने) के रूप में करने का कोई औचित्य नहीं है और, इसलिए, याचिकाकर्ता को जारी किया गया विपत्र बहुत लंबी अवधि के लिए है जो विधि में अनुज्ञेय नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि मुख्य अभियंता द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पूर्णतः गलत हैं क्योंकि अपने आदेश को इस्पात के वास्तविक उत्पादन पर आधारित करने के बजाय, वे भट्टियों की क्षमता के आधार पर चले हैं। श्री सुब्रमण्यम ने यह भी तर्क दिया है कि मीटर के दोषपूर्ण अभिलिखितकरण का निर्णय भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 26(6) के दृष्टिकोण से किया जाना है और मामले को विद्युत निरीक्षक को संदर्भित किया जाना चाहिए था।

श्री वी.आर. रेड्डी, विद्युत बोर्ड के विद्वान वरीय अधिवक्ता, ने यह प्रस्तुत किया है कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 26(6) का ऐसे वाद में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहाँ सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से पर लगी सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और कृत्रिम साधनों का सहारा लेकर मीटर द्वारा उपभोग के अभिलिखितकरण को प्रभावित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बल दिया है कि मुख्य अभियंता ने सभी सुसंगत सामग्री और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात एक सुस्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से की सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और याचिकाकर्ता अनुबंधित भार से अधिक उपयोग किया था और उसने बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का बेईमानीपूर्ण निष्कर्षण भी किया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मुख्य अभियंता द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष सुसंगत सामग्री पर आधारित होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में चुनौती के लिए खुले नहीं हैं। विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अपील के समर्थन में, श्री रेड्डी ने यह प्रस्तुत किया है कि अधिभार विद्युत विपत्र का भाग होने के कारण, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी

कि वह प्रति इकाई आधार पर प्रभार्य था न कि उसके मूल्य के तिगुने पर। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शुल्क दर के खंड 16.9 के दृष्टिगत, ईंधन अधिभार को भी आकलित इकाइयों के तीन गुना पर उद्गृहीत किया जाना है।

यह बिल्कुल शुरुआत में कहा जा सकता है कि दिनांक 13.10.1999 की एक विस्तृत कारण बताओ सूचना, जिसमें सभी सुसंगत तथ्यों का उल्लेख है, याचिकाकर्ता पर तामील की गई थी जिसका याचिकाकर्ता ने 20.10.1999 को उत्तर दिया। मुख्य अभियंता का आदेश उल्लेख करता है कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और उसके अधिवक्ता उनके समक्ष उपस्थित हुए और 25.10.1999 और 26.10.1999 को मामले पर बहस की। मुख्य अभियंता ने एक स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से पर सील के साथ छेड़छाड़ की गई पाई गई थी। सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से पर 14.5.1999 को 045660 संख्या वाली एक सील लगाई गई थी और सील लगाने वाले प्राधिकारी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 27.8.1999 को निरीक्षण के समय, सील के साथ छेड़छाड़ की गई पाई गई थी, जिसे निरीक्षण दल द्वारा जब्त कर लिया गया था। सील में उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे जिसने सील लगाई थी। अभिलेख दर्शाता है कि निरीक्षण 8 जिम्मेदार अधिकारियों वाली एक उच्च स्तरीय टीम द्वारा किया गया था, जिनमें से कुछ पटना में विद्युत बोर्ड के मुख्यालय से आए थे। एक कार्यपालक दंडाधिकारी भी टीम का एक सदस्य था। याचिकाकर्ता के प्रबंधक ने स्वयं 28.8.1999 को पुलिस उपाधीक्षक, दानापुर (पटना) के पास एक प्रतिवेदन दर्ज कराया, जिसमें यह अभिकथित किया गया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 8 अधिकारियों ने सशस्त्र बल के साथ अधिष्ठापन का दौरा किया और परीक्षण किया और टीम के सदस्यों ने स्वयं पेचकस और प्लायर की सहायता से सी.टी./पी.टी. के एल.टी. टर्मिनल बक्से के आवरण के साथ छेड़छाड़ की और प्लास्टिक सील को एक कार्यपालक अभियंता द्वारा हटा दिया गया और नीचे लाया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर कारण बताओ सूचना के उत्तर में, सील के साथ छेड़छाड़ से इनकार

किया गया था और यह अभिवचन दिया गया था कि मामले की जांच याचिकाकर्ता के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक कांड के अन्वेषण अधिकारी द्वारा की जा रही है और उनके प्रतिवेदन पर उपयुक्त समय पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। मुख्य अभियंता ने पूरी सामग्री पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखने के पश्चात कि निरीक्षण के समय बोर्ड के बड़ी संख्या में अधिकारी थे, एक निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता के कारखाने में दो भट्टियाँ थीं, प्रत्येक 6 एम.टी. की और इस प्रकार कुल क्षमता 12 एम.टी. थी। इंडक्शन भट्टियों के विनिर्माता अर्थात्, मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि. ने लिखित में दिया था कि 6 एम.टी. इंडक्शन भट्टी का भार 2500 के.वी. था जो 3000 के.वी.ए. के समतुल्य है और, इसलिए, याचिकाकर्ता के कारखाने में स्थापित भट्टियों का वास्तविक भार, सहायक भार को ध्यान में रखने के पश्चात, 7200 के.वी.ए. हो गया। बिहार का इंडक्शन भट्टी संघ जिसका याचिकाकर्ता भी एक सदस्य है, ने सहमति व्यक्त की थी और प्रस्तावित किया था कि एक इंडक्शन भट्टी का भार 600 के.वी.ए. प्रति एम.टी. माना जा सकता है। इन कारकों पर विचार करने पर मुख्य अभियंता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता के कारखाने का वास्तविक भार 7200 के.वी.ए. था। अन्य सामग्री जिस पर मुख्य अभियंता द्वारा विचार किया गया है वह यह है कि औसतन बिजली का उपभोग 21.25 घंटे प्रतिदिन के लिए किया गया था क्योंकि कारखाना प्रत्येक पाली में 40 श्रमिकों के साथ दो पालियों में चल रहा था और, इसलिए, वास्तव में उपभोग की जा रही इकाइयों की संख्या मीटर में अभिलिखित इकाइयों से बहुत अधिक थी। इन निष्कर्षों के आधार पर, शुल्क दर के खंड 16.9 के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिकर राशि का निर्धारण किया गया है।

यह तर्क कि सी.टी./पी.टी. टर्मिनल इकाई की सील के साथ छेड़छाड़ के संबंध में विवाद को विद्युत निरीक्षक को संदर्भित किया जाना चाहिए था, में शायद ही कोई सार है। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम बसंतीबाई, [1988] 1 एस.सी.सी. 23 में, यह

अभिनिर्धारित किया गया है कि मीटर के साथ छेड़छाड़ करने और बॉडी सील को तोड़ने में कपट करने के संबंध में विवाद भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 26(6) की परिधि से बाहर का है और विद्युत निरीक्षक के पास कपट के ऐसे वादों का निर्णय करने की कोई अधिकारिता नहीं है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 26(6) के अंतर्गत, एकमात्र विवाद जिसका निर्णय विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जा सकता है, यह है कि क्या मीटर सही है और पाठ्यांक को सटीक रूप से अभिलिखित कर रहा है या उसमें कोई दोष है। चूँकि वर्तमान वाद में यह पाया गया है कि सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बक्से पर सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मीटर का प्राकृतिक कार्यकरण बाह्य उपकरणों का सहारा लेकर प्रभावित हुआ था, इसलिए इस प्रकार का विवाद विद्युत निरीक्षक को संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

अगला उठाया गया तर्क यह है कि 180 दिनों की अवधि जिसके लिए विद्युत की चोरी का निर्धारण किया गया है, पूर्णतः गलत है और जिसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। विद्युत बोर्ड इस आधार पर आगे बढ़ा है कि राज्य सरकार के अनुमोदन से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा तैयार की गई शुल्क दर का खंड 16.9 लागू है। शुल्क दर का खंड 16.9 निम्नानुसार है:

"16.9 (ए) *अनधिकृत भार का पता लगाना* : यदि किसी भी समय उपभोक्ता बोर्ड की विशिष्ट अनुमति के बिना अनुबंधित भार से अधिक पाया जाता है, तो बोर्ड करार के अंतर्गत या विद्युत अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार निष्कर्षित, उपभोग या उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा के मूल्य का आकलन करेगा जो नीचे गणना की जाएगी और बिना सूचना के आपूर्ति को विच्छेदित भी कर सकता है:-

- I. निम्नलिखित कदाचार और ऊर्जा की चोरी के वादों में प्रतिकर के लिए आवश्यक आकलन नीचे किए जाएंगे:-

(ए)

(बी) मीटरों के चालन में बाधा उत्पन्न करके या आपूर्ति या तारों आदि की प्रणाली के साथ हस्तक्षेप करके ऊर्जा का उपयोग करने के मामले में।

(सी)

आकलित इकाई = एल x एफ x एच x डी

जहाँ एल =

एच =

डी = उन दिनों की संख्या है जिनके लिए चोरी हुई थी जिसे उपभोक्ता द्वारा संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने से स्थापित किया जा सकता है। यदि अवधि को स्थापित करने के लिए कोई संभव साक्ष्य नहीं है, तो इस कारक को 180 या संयोजन/मीटर की स्थापना की तारीख से चोरी का पता चलने की तारीख तक व्यतीत हुए दिनों की संख्या, जो भी कम हो, के समतुल्य लिया जाए।

एफ=

II.

- III. कंडिका प्रथम और द्वितीय में ऊपर संकेतित आकलित इकाइयों पर प्रभार लगाने की पद्धति।

(ए) इस प्रकार आकलित उपभोग पर उपभोक्ता को लागू शुल्क दर की प्रति इकाई तीन गुनी दर पर प्रभार लगाया जाएगा, मीटर द्वारा अभिलिखित उपभोग को छोड़कर और बाद वाले पर उपयुक्त शुल्क दरों पर प्रभार लगाया जाएगा। इस (शुल्क दर की तीन गुनी) पर विपत्रित राशि को मासिक/न्यूनतम प्रत्याभूति का भुगतान करने के उपभोक्ता के दायित्व की गणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

(बी)

- IV. जब घरेलू सेवा को छोड़कर सभी श्रेणियों के एल.टी. कनेक्शन के मामले में संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक हो।

आकलन प्रभार:- रु. सी x एम (एल.डी.-एल.एस.) x 3 जहाँ, एम = प्रति माह प्रति बी.एच.पी. न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार जैसा कि शुल्क दर अनुसूची में लागू है।

एल.डी. = निरीक्षण के समय बी.एच.पी. में पता लगाया गया भार है।

एल.एस. = बी.एच.पी. में उपभोक्ता को स्वीकृत भार है

सी = इस कारक को छह महीने या संयोजन/स्थापना की तारीख से व्यतीत हुए महीनों या उसके भाग, जो भी कम हो, के समतुल्य लिया जाए।"

ऊपर उद्धृत शुल्क दर का सुसंगत भाग यह दर्शाता है कि विद्युत की चोरी या विद्युत ऊर्जा के बेईमानीपूर्ण निष्कर्षण के मामलों में प्रतिकर के लिए आकलन एक ऐसे सूत्र के आधार पर किया जाना है जिसमें 'डी' उन दिनों की संख्या का प्रतीक है जिनके लिए चोरी हुई थी और जहाँ अवधि को स्थापित करने के लिए कोई संभव साक्ष्य नहीं है, इस कारक को

180 दिनों के समतुल्य लिया जा सकता है। इसी प्रकार, ऐसे मामले में जहाँ संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक है, आकलन प्रभार एक ऐसे सूत्र के आधार पर किया जाना है जहाँ 'सी' छह महीने या कनेक्शन/स्थापना की तारीख से व्यतीत हुए महीनों या उसके भाग, जो भी कम हो, का प्रतीक है। इसलिए शुल्क दर के अंतर्गत दोनों मामलों में अवधि को 180 दिन या छह महीने के रूप में लिया जा सकता है। इसी सूत्र के आधार पर इकाइयों के उपभोग के लिए आकलन 180 दिनों के लिए किया गया है। *हैदराबाद वनस्पति लि. बनाम ए.पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य*, [1998] 4 एस.सी.सी. 470 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में बोर्ड द्वारा अधिसूचित और विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू किए गए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए उपबंधों की शर्तें, प्रकृति में सांविधिक हैं। यह विधिक स्थिति होने के कारण, विद्युत बोर्ड ने हमारी राय में शुल्क दर के खंड 16.9 को सही ढंग से लागू किया और किए गए आकलन और उसके अनुसरण में तैयार किए गए विपत्र में कोई दुर्बलता नहीं है।

श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 27.8.1999 को निरीक्षण किए जाने के पश्चात, उसी दिन थाना में श्री ओम प्रकाश, सहायक कार्यपालक अभियंता द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 39/44 के अंतर्गत एक आपराधिक वाद पंजीकृत किया गया था। इस वाद का अन्वेषण किया गया था और उसके पश्चात एक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे संबंधित दंडाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता विद्युत की चोरी के आरोप से दोषमुक्त हो गया है और शुल्क दर के खंड 16.9 का सहारा लेकर कोई प्रतिकर विपत्र जारी नहीं किया जा सकता था। विद्युत बोर्ड के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी.आर. रेड्डी ने प्रस्तुत किया है कि अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार करने से पहले, विद्वान दंडाधिकारी ने श्री ओम प्रकाश, सहायक कार्यपालक अभियंता को सूचना जारी

की थी, किंतु उक्त सूचना उन पर तामील नहीं की गई थी क्योंकि झारखंड राज्य में उनके आवंटन के कारण उनका पटना से स्थानांतरण हो गया था और इस प्रकार अंतिम प्रतिवेदन के विरुद्ध विद्युत बोर्ड की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, विद्युत बोर्ड की ओर से संबंधित दंडाधिकारी के समक्ष उस आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है जिसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया गया था। हमारी राय में, दंडाधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन का मात्र स्वीकार किया जाना आपराधिक न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है कि विद्युत की चोरी नहीं की गई थी। अभियुक्त को समन भी नहीं किया गया था, न ही कोई आरोप विरचित किया गया था और न ही कोई साक्ष्य अभिलिखित किया गया था। ऐसी स्थिति में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक न्यायालय ने इस आशय का कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि याचिकाकर्ता ने विद्युत की चोरी नहीं की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 39/44 के अंतर्गत विचारण का प्रयोजन पूर्णतः भिन्न है और उद्देश्य उस व्यक्ति को दंडित और दंडादेशित करना है जिस पर अपराध करने का अभिकथन है। एक आपराधिक वाद में अभियुक्त के विचारण का बेईमानी से निष्कर्षित या उपभोग की गई विद्युत के मूल्य के शुल्क दर के अनुसार किए गए आकलन के मामले में कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिए, आपराधिक वाद में अंतिम प्रतिवेदन के कथित स्वीकार किए जाने के आधार पर उठाया गया तर्क में बिल्कुल भी कोई सार नहीं है।

यह ध्यान दिया जाना है कि उच्च न्यायालय द्वारा 1999 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 8939 में 27.9.1999 को पारित आदेश के अनुसरण में, मुख्य अभियंता ने यह अभिनिर्धारित करते हुए मामले का निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता ने अनुबंधित भार से अधिक का उपभोग किया था और उसने विद्युत की चोरी भी की थी और परिणामस्वरूप प्रतिकर राशि का आकलन शुल्क दर के खंड 16.9 के अनुसार किया जाना था। मुख्य अभियंता के आदेश के अनुसार 29.10.1999 का विपत्र तैयार किया गया था जिसे याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के

अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय मुख्य अभियंता के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुन रहा था। ऐसे मामले में जांच की परिधि एक सीमित है। हम यहाँ वह उद्धृत करना चाहेंगे जो वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति द्वारा *उ.प्र. राज्य और अन्य बनाम महाराजा धर्मादर प्रसाद सिंह*, ए.आई.आर. (1989) एस.सी. 997 (कंडिका 28) में कहा गया था, जो निम्नानुसार है:

"तथापि, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन को अपील में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, निर्णय के विरुद्ध नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की परीक्षा तक सीमित है। चीफ कौन्स्टेबल ऑफ द नॉर्थ वेल्स पुलिस बनाम इवांस, (1982) 1 डब्ल्यू.एल.आर. 1155 में न्यायिक पुनर्विलोकन में गुण-दोष और वैधता के भेद का उल्लेख है। लॉर्ड हेलशम ने कहा:

'न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को निष्पक्ष उपचार प्राप्त हो, और यह सुनिश्चित करना नहीं है कि प्राधिकारी, निष्पक्ष उपचार प्रदान करने के पश्चात, किसी ऐसे मामले पर जिसे विधि द्वारा स्वयं विनिश्चित करने के लिए वह प्राधिकृत है, कोई ऐसा निष्कर्ष निकाले जो न्यायालय की दृष्टि में सही हो।'

लॉर्ड ब्राइटमैन ने प्रेक्षण किया:

'.....न्यायिक पुनर्विलोकन, जैसा कि शब्द ध्वनित करते हैं, किसी निर्णय से अपील नहीं है, बल्कि उस ढंग का पुनर्विलोकन है जिसमें निर्णय लिया गया था।'

और यह अभिनिर्धारित किया कि यह सोचना एक त्रुटि होगी:

'.....कि न्यायालय न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता पर बल्कि स्वयं निर्णय की शुद्धता पर भी निर्णय करने के लिए बैठा है।'

जब न्यायिक पुनर्विलोकन में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या कोई निर्णय अप्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखने, या प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने की उपेक्षा करने से दूषित है या इतना स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त है कि विचाराधीन शक्ति सौंपी गई कोई भी युक्तियुक्त प्राधिकारी तार्किक रूप से ऐसा निर्णय नहीं ले सकता था, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया के न्यायिक पुनर्विलोकन में, विधि के प्रश्न के रूप में, कारकों की प्रासंगिकता की परीक्षा सम्मिलित है....."

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा, जे.टी. (1999) 1 एस.सी. 61

में, मुख्य न्यायाधीश आनंद ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"न्यायिक पुनर्विलोकन, किसी निर्णय से अपील न होकर, बल्कि उस ढंग का पुनर्विलोकन होने के कारण जिसमें निर्णय पर पहुँचा गया था, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यदि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों और नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करने के पश्चात निर्णय पर पहुँचा गया है और व्यक्ति को अपने विरुद्ध वाद का सामना करने के लिए निष्पक्ष उपचार प्राप्त हुआ है, तो न्यायालय किसी ऐसे मामले पर प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है जो पूर्णतः उस प्राधिकारी की अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर आता था।"

इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुख्य अभियंता ने याचिकाकर्ता को सभी सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए सूचना जारी की, जिसका याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया। याचिकाकर्ता को

सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था और वह एक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ, जिसने दो दिनों तक बहस की और उसके पश्चात मुख्य अभियंता ने आदेश पारित किया। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मुख्य अभियंता ने सुसंगत कारकों को विचार में लिया है और उनके द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष उनके समक्ष उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से पुष्ट होते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके द्वारा पारित आदेश किसी भी प्रकार से अयुक्तियुक्त या विकृत है। इसलिए उच्च न्यायालय ने सही दृष्टिकोण अपनाया कि मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश कि प्रतिकर विपत्र शुल्क दर के खंड 16.9 के अनुसार तैयार किया जाना है, में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और आदेश के उस भाग से व्यथित महसूस करता है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिभार को प्रति इकाई दर की तीन गुनी दर पर उद्गृहीत नहीं किया जा सकता है और तदनुसार 2002 की दीवानी अपील सं. 8395 दायर की है। विद्युत बोर्ड के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी.आर. रेड्डी ने प्रस्तुत किया है कि विद्युत की एक इकाई की लागत नियत नहीं है और इसके विपरीत यह ईंधन अधिभार पर निर्भर है। ईंधन अधिभार की गणना करने के लिए सूत्र एक लंबा और जटिल है और शुल्क दर के खंड 16.10.3 में दिया गया है। ईंधन अधिभार की गणना करने में कई कारकों को विचार में लिया जाना है और वे कई चरों पर निर्भर करते हैं। श्री रेड्डी ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि अधिभार को अनिवार्य रूप से विचार में लिया जाना है और उसे विद्युत की लागत में जोड़ा जाना है और इसलिए, शुल्क दर के खंड 16.9 के भाग (III) के अनुसार, इसका आकलन भी प्रति इकाई दर की तीन गुनी दर पर किया जाना चाहिए। हम उठाए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। खंड 16.9 और 16.10.3 शुल्क दर में अलग और पृथक खंड हैं। खंड 16.9 अनुबंधित भार से अधिक या मीटर के चालन में बाधा उत्पन्न करके उपभोक्ता द्वारा निष्कर्षित या उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा के मूल्य की

गणना करने के लिए सूत्र निर्धारित करता है। इस खंड का भाग (III) आकलित इकाइयों पर प्रभार लगाने की पद्धति से संबंधित है और उसकी उप-कंडिका (ए) निर्धारित करती है कि इस प्रकार आकलित उपभोग पर उपभोक्ता को लागू शुल्क दर की प्रति इकाई तीन गुनी दर पर प्रभार लगाया जाएगा, मीटर द्वारा अभिलिखित उपभोग को छोड़कर और बाद वाले पर उपयुक्त शुल्क दरों पर प्रभार लगाया जाएगा। खंड 16.10.3 एक अलग खंड है जो ईंधन अधिभार से संबंधित है और यह कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि यह अतिरिक्त अधिभार भी शुल्क दर की प्रति इकाई तीन गुनी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा। दो खंडों नामतः 16.9 और 16.10.3 को अलग-अलग पढ़ा जाना है और प्रति इकाई दर की तीन गुनी दर पर ईंधन अधिभार का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट उपबंध न होने के कारण, यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि ऐसे मामले में ईंधन अधिभार भी प्रति इकाई दर की तीन गुनी दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए।

अतः, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूर्णतः सही है और यह किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है। परिणामस्वरूप, दोनों अपीलों में कोई सार नहीं है और एतद्वारा खारिज की जाती हैं। कोई व्यय नहीं।

एन.जे.

अपीलें खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।